राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– बरवाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 54 सन 2018

अनवान :–

1. सुशील कुमार 2 शंकरलाल पि0 धर्मपाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 21.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") पेश निवेदन किया की व रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 7/9 की कुल 2.7810हैक रोही मौजा 15 डीपीएन के खाता संख्या 7/8 की कुल 2.4790हैक , रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 27/29 की कुल 1.771हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/91 की कुल 0.780हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय उपस्थित आकर वादीगण के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हक हिस्सा है वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 2 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों/प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 7/9 की कुल 2.7810हैक रोही मौजा 15 डीपीएन के खाता संख्या 7/8 की कुल 2.4790हैक , रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 27/29 की कुल 1.771हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता सख्या 89/91 की कुल 0.780हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्डे अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बरवाली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–बरवाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुशील कुमार 2 शंकरलाल पि0 धर्मपाल जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 धर्मपाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या54 सन 2018 निर्णय दिनांक–21.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो /आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 7/9 की कुल 2.7810हैक्ट रोही मौजा 15 डीपीएन के खाता संख्या 7/8 की कुल 2.4790हैक्ट , रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 27/29 की कुल 1.771हैक्ट एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/91 की कुल 0.780हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बरवाली